( TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION I OF THE GAZETTE OF INDIA)

No. 23-17/84-FRY(WL)
Department of Environment, Forests and Wildlife
( Wild Life Division)
****

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 25-3-86

ORDER

Whereas Government of India have accorded their approval to the conversion of the Wildlife Institute of India, a subordinate office of the Ministry of Environment and Forests, into an autonomous Institution, vide letter No. 23-17/84-FRY(WL) dated 11.2.1986, and

Whereas the Wildlife Institute of India Society has been constituted and registered as such under the Societies Registration Act, 1860, vide Registration No. 2284/1985-86 dated 19.2.1986 of the Assistant Registrar Societies, Meerut;

Now, therefore, Government of India hereby transfer, with effect from 1st April, 1986, all assets and liabilities of the subordinate office of the Wildlife Institute of India to the Wildlife Institute of India Society.

(Dr. Ranjitsinh)
Joint Secretary to the Government of India.

To

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad (with Hindi version)

Copy to:

1. Director, Wildlife Institute of India, P.O. New Forest, Dehra Dun.

2. All Ministries/Department of Government of India including Planning Commission, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, etc.

3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.

4. All Attached & Subordinate Offices of the Ministry of Environment & Forests.

5. Pay and Accounts Officer, Department of Forests and Wildlife, 16, Akbar Road Hutments, New Delhi.

6. Director of Audit, Central Revenue, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi.

7. All Officers/Sections of the Department of Forests and Wildlife.

(Dr. Ranjitsinh)
Joint Secretary to the Government of India

रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

ANNEXURE-2

REGISTERED NO. D—(DN)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3, 1986 (वैशाख 13, 1908)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 1986 (VAISAKHA 13, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 357 |
| भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 505 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | — |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 579 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | * |
| भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * |
| भाग II—खंड-3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | * |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश | * |
| भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 17809 |
| भाग III—खंड 2—पैटन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस | 303 |
| भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | — |
| भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 443 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस | 73 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक | * |

(8) सदस्य सचिव
शिक्षा सचिव
स्थायी रूप से आमन्त्रित व्यक्ति
सचिव, संस्कृति विभाग
सचिव, कला विभाग
सचिव, युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग ।
सचिव, महिला तथा बाल विकास विभाग
सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
सचिव, कल्याण मंत्रालय
सचिव, योजना आयोग
सचिव, श्रम आयोग
सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय
अध्यक्ष इलैक्ट्रोनिक्स आयोग
विशेष सचिव, शिक्षा विभाग ।
अपर सचिव, शिक्षा विभाग
शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) शिक्षा विभाग ।
सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग ।
निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ।

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

### (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1986

### आदेश

सं० 23-17/84-एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एल०)--जबकि भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय वन्य प्राणी संस्थान को दिनांक 19-2-86 के पत्र संख्या 23-17/84 एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एफ०) के द्वारा स्वायत्तशासी संस्थान में परिवर्तित करने की अपनी स्वीकृति दे दी है, और

जबकि भारतीय वन्यप्राणी संस्थान सोसाइटी का गठन किया गया है और उसकी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सहायक संस्था पंजीयक, मेरठ के पंजीकरण संख्या 2284/1985-86 दिनांक 19-2-86 के द्वारा पंजीकृत किया गया है;

अत: अब भारत सरकार द्वारा एतद्द्वारा भारतीय वन्य प्राणी संस्थान अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित सभी परि-सम्पत्तियों और दायित्वों को 1 अप्रैल, 1986 से भारतीय वन्य प्राणी संस्थान सोसायटी को हस्तांतरित करती है।

डा० रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव

## कृषि मंत्रालय

### (कृषि और सहकारिता विभाग)

नयी दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 1986

### संकल्प

सं० 1-2/86-एल० डी० टी० (ई० डी०)--देश में ऊंटों की जनसंख्या में वृद्धि करने और एक उपयुक्त निर्यात नीति को बनाने की दृष्टि से, ऊटों के परिरक्षण, विकास और प्रजनन के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को विकसित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। इसलिए, यह निश्चय किया गया है कि ऊंटों के निर्यात सहित मामले के सभी पहलुओं के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया जाए। समिति एक तकनीकी अध्ययन समूह होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :--

| | |
|---|---|
| 1. श्री बी० एस० सराव, अपर सचिव, भारत सरकार । | अध्यक्ष |
| 2. पशुपालन आयुक्त । | उपाध्यक्ष |
| 3. वित्त सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग । | सदस्य |
| 4. संयुक्त सचिव (डी० डी०) । | सदस्य |
| 5. उप महा निदेशक (ए एस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् । | सदस्य |
| 6. निदेशक, पशुपालन, राजस्थान जयपुर । | सस्दय |
| 7. निदेशक, पशुपालन, गुजरात गांधीनगर । | सदस्य |
| 8. निदेशक, पशुपालन, पंजाब, चंडीगढ़ । | सदस्य |
| 9. निदेशक, पशुपालन, हरियाणा, चण्डीगढ़ । | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन या उनके प्रतिनिधि । | सदस्य |
| 11. निदेशक, राष्ट्रीय उंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर । | सदस्य |
| 12. सचिव, रा० के० वि० बोर्ड, गुजरात, आनन्द । | सदस्य |
| 13. वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि । | सदस्य |
| 14. कृषि आयुक्त या उनके प्रतिनिधि । | सदस्य |
| 15. संयुक्त आयुक्त (मृदा संरक्षण) । | सदस्य |
| 16 संयुक्त आयुक्त (एल० पी०), कृषि और सहकारिता विभाग । | सदस्य सचिव |

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :--

(क) देश में ऊंटों की जनसंख्या की प्रवृत्ति की समीक्षा करना।

(ख) ऊंटों के परिरक्षण, विकास, प्रजनन, चारे और साथ ही साथ विपणन से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करना और उनके सुधार के लिए उपाय सुझाना।

(ग) ऊंटों के निर्यात से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।

(घ) देश में ऊंटों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य को करना।

समिति समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्य बना सकती है।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा; समिति प्राय: आवश्यकतानुसार बैठक बुलाएगी और गठन की तारीख से वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, सरकारों चण्डीगढ़ प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एस० सराव, अपर सचिव (एस)

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### (शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 1986

### संकल्प

सं० एफ० 7-(ii)/84 डी०-1 (आ०)--मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के दिनांक 21 सितम्बर 1984 के समसंख्यक संकल्प के आंशिक संशोधन में यह संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाए। ये संशोधन तत्काल लागू होंगे।

(2) *Vice Chairman*

Minister of State for Education and Culture.

(3) *Representatives of the Government of India*

(i) Minister of State for Youth Affairs and Sports, and Women's Welfare.

(ii) Minister of State for Information and Broadcasting.

(iii) Minister of State for Science and Technology.

(iv) Minister of State, Ministry of Welfare.

(v) Member (Education), Planning Commission.

(vi) Deputy Minister, Ministry of Health and Family Welfare.

(4) *Representatives of the State Governments and UT Administrations*

(i) Ministers incharge of Education in each State Govt.

(ii) Lt. Governors or Ministers incharge of Education in each UT Administration.

(5) *Elected Members*

(i) Four Members of Parliament from Lok Sabha.

(ii) Two Members of Parliament from Rajya Sabha.

(iii) One Member of the Association of Indian Universities elected by the Executive Committee of the Association.

(iv) One Member of the All India Council for Technical Education to be nominated by the Chairman of the Council.

(v) One Member of the Medical Council of India to be nominated by the Council.

(6) *Ex-Officio Members*

(i) Chairman, University Grants Commission.

(ii) Director-General, Indian Council of Agricultural Research.

(iii) Director, NIEPA.

(iv) Director, NCERT.

(v) Chairman, CBSE.

(vi) Vice-Chancellor, Indira Gandhi National Open University.

(vii) Chairman, Central Social Welfare Board.

(7) *Nominated members representing various categories*

31 Members.

(8) *Member Secretary*

Education Secretary.

*Permanent Invitees*

Secretary, Department of Culture.

Secretary, Department of Arts.

Secretary, Department of Youth Affairs & Sports.

Secretary, Department of Women & Child Development.

Secretary, Department of Science & Technology.

Secretary, Ministry of Welfare.

Secretary, Planning Commission

Secretary, Department of Labour.

Secretary, Ministry of Industrial Development.

Chairman, Electronics Commission.

Special Secretary, Department of Education.

Adviser (Education), Planning Commission.

Education Adviser (Technical), Department of Education.

Adviser (Education), Planning Commission.

Director, Directorate of Adult Education.

New Delhi, the 31st March 1986

*RESOLUTION*

No. F.7-(ii)-1/84.D.I(L).—In partial modification of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education. Resolution of even number dated 21st September, 1984, it is hereby resolved to make the following amendment in the aforesaid Resolution. The amendments shall take immediate effect.

*COMPOSITION*

For the existing entry against S. No. I the following shall be substituted :

"Minister of State for Education & Culture."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the non-Hindi speaking States, Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, President's Sectt. and all the Ministries and Deptt. of the Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ADARSH MISRA, Dir. (L)

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

(WILD LIFE DIVISION)

New Delhi, the 25th March 1986

ORDER

No. 23-17/84-FRY(WL).—Whereas Government of India have accorded their approval to the conversion of the Wildlife Institute of India, a subordinate office of the Ministry of Environment and Forests, into an autonomous Institution, vide letter No. 23-17/84-FRY(WL) dated 11-2-1986, and

Whereas the Wildlife Institute of India Society has been constituted and registered as such under the Societies Registration Act, 1860, vide Registration No. 2284/1985-86 dated 19-2-1986 of the Assistant Registrar Societies, Meerut;

Now, therefore, Government of India hereby transfer, with effect from 1st April, 1986, all assets and liabilities and the subordinate office of the Wildlife Institute of India to the Wildlife Institute of India Society.

DR. RANJITSINH, Jt. Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th April 1986

*RESOLUTION*

No. A-2/86-IDT(ED).—The Government of India have had under consideration the question of developing suitable programmes for preservation, development and breeding of camels with a view to increasing camel population in the country and evolve a suitable export policy. It has, therefore, been decided to constitute a committee to go into all the aspects of the matter including export of camels. The committee will be a technical study group and will consist of :

*Chairman*

1. Shri B. S .Sarao, Addl. Secretary, Government of India.

2. Animal Husbandry Commissioner
*Vice-Chairman*
*Members*

3. Financial Advisor, Deptt. of Agriculture & Coopn.

4. Joint Secretary (DD)

5. Deputy Director General (AS), Indian Council of Agricultural Research.